

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 248/2022

अनवान मुकदमा -

1. अजीत कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र जाति जाट निवासी मानकथेडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. संजय कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र जाति जाट निवासी मानकथेडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. प्रकाश पुत्र जुगराज जाति जाट निवासी मानकथेडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

..... वादीगण

बनाम

1. सुभाष चन्द्र पुत्र सुल्तान जाति जाट निवासी मानकथेडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. जुगराज पुत्र सुल्तान जाति जाट निवासी मानकथेडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. मुली देवी पत्नी जुगराज जाति जाट निवासी मानकथेडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. सुमन पत्नी प्रकाश पुत्र जुगराज जाति जाट निवासी मानकथेडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. कान्ता पत्नी लिछुराम पुत्री जुगराज जाति जाट निवासी भेरुसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. शकुन्तला पत्नी किशनलाल पुत्री जुगराज जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

..... प्रतिवादीगण

-:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा ::-

-:: उपस्थित अभिभाषक ::-

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. श्री धन्नाराम सुथार | -- वादीगण             |
| 2. विनोद कुमार बिश्नोई | -- प्रतिवादीगण 1 ता 6 |
| 3. राजपैरोकार          | -- प्रतिवादी सं. 7    |

-:: निर्णय :-

दिनांक -20/06/2022

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वहीं है जो वाद पत्र के शीर्षक के व्यवहार सहिता के आदेश 6 नियम 14-ए के अनुसार सही अंकित किया गया है। वाद पत्र में वादीगण ने परिवार की वृक्ष वंशावली प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार खातेदार कृष्णलाल (फौत) की पत्नी गुड्डी देवी दो पुत्र मोहनलाल व विनोद मूलीदेवी के एक पुत्र प्रकाश व दो पुत्रियां कृष्णा व शकुन्तला है। सुभाषचन्द्र के दो पुत्र संजय कुमार व अजीत कुमार है।

जैसा कि वाद पत्र में अंकित किया गया है कि वर्तमान राजस्व तहसील पीलीबंगा के चक 4 बी.आर.पी.(भाखड़ा) के खाता संख्या 126/112 के प.नं. 14/362(48) की कुल 3.795

  
20.06.2022  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

क. नाली प्रथम मय गै.मु.खाला रास्ता खातेदारी कृषि भूमि मे प्रतिवादी सं. 1 (सुभाषचन्द्र) के नाम 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी स. 2 (जुगराज) के नाम 1/8 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। साक्ष्य स्वरूप जमाबन्दी सम्बत् 2075-78 वाद पत्र के साथ पेश की गई है।

चक 4 बी.आर.पी.(भाखड़ा) के खाता सं. 34/25 के प.न. 15/359(22) की 1.834 हैक. नाली प्रथम खातेदारी कृषि भूमि मे प्रतिवादी स. 1 (सुभाषचन्द्र) के नाम 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी स. 2 (जुगराज) के नाम 1/8 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। साक्ष्य स्वरूप जमाबन्दी सम्बत् 2075-78 वाद पत्र के साथ पेश की गई है।

चक मानकथेडी बारानी के खाता सं. 14/9 के खसरा नं. 35 की कुल 0.658 हैक. बारानी खातेदारी कृषि भूमि मे प्रतिवादी स. 2 (जुगराज) के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है।

चक मानकथेडी बारानी के खाता सं. 17 के खसरा नं. 87 की 0.506 हैक. व खसरा नं. 91 की 1.012 हैक. इसप्रकार कुल 1.518 हैक. बारानी मे प्रतिवादी स. 1 (सुभाषचन्द्र) के नाम 1/32 हिस्सा व प्रतिवादी स. 2 (जुगराज) के नाम 1/32 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। साक्ष्य स्वरूप जमाबन्दी सम्बत् 2075-78 वाद पत्र के साथ पेश की गई है।

चक 6 बी.आर.पी. के खाता सख्या 17/32 के प.नं. 24/365(51) की कुल 3.694 हैक. नहरी मय गै.मु.खाला रास्ता मे प्रतिवादी स. 2 (जुगराज) के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। साक्ष्य स्वरूप जमाबन्दी सम्बत् 2075-78 वाद पत्र के साथ पेश की गई है।

चक 6 बी.आर.पी. के खाता सख्या 113/31 के प.नं. 20/365(55) की कुल 2.720 हैक. नाली प्रथम मय गै.मु. रास्ता मे प्रतिवादी स. 1 (सुभाषचन्द्र) के नाम 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी स. 2 (जुगराज) के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 व 2073 से 2076 सलंगन वाद पत्र है।

यह कि वाद पत्र की मद सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जो वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 व 2 को वादीगण के दादा सुलतान से विरास्तन में प्राप्त हुई है। जिसमें वादीगण सं. 1 व 2 का प्रतिवादी सं. 1 व वादी सं. 3 का प्रतिवादी सं. 2 के साथ जन्म से हक व हिस्सा निहित है। उक्त पैतृक कृषि भूमि बाबत वादीगण सं. 1 व 2 का प्रतिवादी सं. 1 के साथ व वादी सं. 3 का प्रतिवादी सं. 2 ता 6 के मध्य अर्सा दराज पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है। जिसमें प्रतिवादी सं. 5, 6 ने अपना समस्त हिस्सा वादीगण सं. 3 व प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के पक्ष मे व प्रतिवादी सं. 1 ने अपना समस्त हिस्सा वादीगण सं. 1 व 2 के पक्ष मे छोड़ दिया है। वादीगण व प्रतिवादीगण को मुताबिक घरू बंटवारा कर कृषि भूमि निम्न प्रकार प्राप्त हुई है:-

(क) वादीगण सं. 1 व 2 को तहसील पीलीबंगा के चक 4 बी.आर.पी.(भाखड़ा) के खाता सख्या 126/112 के प.नं. 14/362(48) की कुल 3.795 हैक. नाली प्रथम मय गै.मु.खाला रास्ता मे से 1/8 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि व इसी चक के खाता स. 34/25 के प.न. 15/359(22) की कुल 1.834 हैक. नाली प्रथम मे से 1/8 हिस्सा कृषि भूमि व चक मानकथेडी बारानी के खाता सं. 17/11 के खसरा नं. 87 की 0.506 हैक. व खसरा नं. 91 की 1.012 हैक. इस प्रकार कुल 1.518 हैक. बारानी मे से 1/32 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि ब.हि.ब. प्राप्त हुई है।

(ख) वादी सं. 3 को तहसील पीलीबंगा के चक 4 बी.आर.पी.(भाखड़ा) के खाता सख्या 126/112 के प.नं. 14/362(48) की कुल 3.795 हैक. नाली प्रथम मय गै.मु.खाला रास्ता मे से 1/8 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि व इसी चक के खाता स. 34 के प.न. 15/359(22) की कुल 1.834 हैक. नाली प्रथम मे से 1/8 हिस्सा कृषि भूमि व चक मानकथेडी बारानी के खाता सं. 14/9 के खसरा नं. 35 की कुल 0.658 हैक. बारानी मे से 1/4 हिस्सा व इसी चक के खाता सं.

20.06.2022  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

17/11 के खसरा नं. 87 की 0.506 हैक्. व खसरा नं. 91 की 1.012 हैक्. इसप्रकार कुल 1.518 हैक्. बाराणी मे से 1/32 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

(ग) प्रतिवादी सं. 3, 4 को तहसील पीलीबंगा के चक 6 बी.आर.पी. के खाता सख्या 17/32 के प.नं. 24/365(51) की कुल 3.694 हैक्. नहरी मय गै.मु.खाला रास्ता मे से 1/2 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि व इसी चक के खाता सख्या 113/31 के प.नं. 20/365(55) की कुल 2.720 हैक्. नाली प्रथम मय गै.मु. रास्ता मे से 1/4 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि ब.हि.ब. प्राप्त हुई है।

शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं.1 को प्राप्त हुई है जो यथावत रहेगी, वादीगण व प्रतिवादीगण को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण को प्राप्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं.1 व 2 के नाम दर्ज होने के कारण वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है इसलिये वादीगण खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है।

वाद पत्र के अनुसार वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वह वादीगण को घरू बटवारा में प्राप्त भूमि को तहसील हाजा में चल कर वादीगण के नाम दर्ज करवा देवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो टाल मटौल करते रहे परन्तु आज से 5 रोज पूर्व वे ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया बस यही वाद कारण है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जाकर घोषित किया जावे :-

(क) वादीगण सं. 1 व 2 को तहसील पीलीबंगा के चक 4 बी.आर.पी.(भाखड़ा) के खाता सख्या 126/112 के प.नं. 14/362(48) की कुल 3.795 हैक्. नाली प्रथम मय गै.मु.खाला रास्ता मे से 1/8 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि व इसी चक के खाता स. 34/25 के प.नं. 15/359(22) की कुल 1.834 हैक्. नाली प्रथम मे से 1/8 हिस्सा कृषि भूमि व चक मानकथेडी बाराणी के खाता सं. 17/11 के खसरा नं. 87 की 0.506 हैक्. व खसरा नं. 91 की 1.012 हैक्. इस प्रकार कुल 1.518 हैक्. बाराणी मे से 1/32 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये।

(ख) वादी सं. 3 को तहसील पीलीबंगा के चक 4 बी.आर.पी.(भाखड़ा) के खाता सख्या 126/112 के प.नं. 14/362(48) की कुल 3.795 हैक्. नाली प्रथम मय गै.मु.खाला रास्ता मे से 1/8 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि व इसी चक के खाता स. 34 के प.न. 15/359(22) की कुल 1.834 हैक्. नाली प्रथम मे से 1/8 हिस्सा कृषि भूमि व चक मानकथेडी बाराणी के खाता सं. 14/9 के खसरा नं. 35 की कुल 0.658 हैक्. बाराणी मे से 1/4 हिस्सा व इसी चक के खाता सं. 17/11 के खसरा नं. 87 की 0.506 हैक्. व खसरा नं. 91 की 1.012 हैक्. इसप्रकार कुल 1.518 हैक्. बाराणी मे से 1/32 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये।

(ग) प्रतिवादी सं. 3, 4 को तहसील पीलीबंगा के चक 6 बी.आर.पी. के खाता सख्या 17/32 के प.नं. 24/365(51) की कुल 3.694 हैक्. नहरी मय गै.मु.खाला रास्ता मे से 1/2 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि व इसी चक के खाता सख्या 113/31 के प.नं. 20/365(55) की कुल 2.720 हैक्. नाली प्रथम मय गै.मु. रास्ता मे से 1/4 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से एडवोकेट विनोद कुमार बिश्नोई हाजिर आये। वकालतनामा पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 16.6.2022 को वादीगण 1 ता 3 व प्रतिवादीगण 1 ता 6 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में

20.06.2022  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 7 द्वारा अपना जबाब स्टेट पेश किया गया जिसे बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषको में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार का पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र का पैतृक सम्पत्ति में से जोत का विभाजन करवा सकता है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

-:: आदेश ::-

बहस पर मनन किया। वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी सं.1 की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत :-

(क) वादीगण सं. 1 व 2 को तहसील पीलीबंगा के चक 4 बी.आर.पी.(भाखड़ा) के खाता सख्या 126/112 के प.नं. 14/362(48) की कुल 3.795 हैक्. नाली प्रथम मय गै.मु.खाला रास्ता मे से 1/8 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि व इसी चक के खाता स. 34/25 के प.न. 15/359(22) की कुल 1.834 हैक्. नाली प्रथम मे से 1/8 हिस्सा कृषि भूमि व चक मानकथेडी बारानी के खाता सं. 17/11 के खसरा नं. 87 की 0.506 हैक्. व खसरा नं. 91 की 1.012 हैक्. इस प्रकार कुल 1.518 हैक्. बारानी मे से 1/32 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


(ख) वादी सं. 3 को तहसील पीलीबंगा के चक 4 बी.आर.पी.(भाखड़ा) के खाता सख्या 126/112 के प.नं. 14/362(48) की कुल 3.795 हैक्. नाली प्रथम मय गै.मु.खाला रास्ता मे से 1/8 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि व इसी चक के खाता स. 34 के प.न. 15/359(22) की कुल 1.834 हैक्. नाली प्रथम मे से 1/8 हिस्सा कृषि भूमि व चक मानकथेडी बारानी के खाता सं. 14/9 के खसरा नं. 35 की कुल 0.658 हैक्. बारानी मे से 1/4 हिस्सा व इसी चक के खाता सं. 17/11 के खसरा नं. 87 की 0.506 हैक्. व खसरा नं. 91 की 1.012 हैक्. इसप्रकार कुल 1.518 हैक्. बारानी मे से 1/32 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

20.06.2022  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

(ग) प्रतिवादी सं. 3, 4 को तहसील पीलीबंगा के चक 6 बी.आर.पी. के खाता संख्या 17/32 के प.नं. 24/365(51) की कुल 3.694 हैक्. नहरी मय गै.मु.खाला रास्ता मे से 1/2 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि व इसी चक के खाता संख्या 113/31 के प.नं. 20/365(55) की कुल 2.720 हैक्. नाली प्रथम मय गै.मु. रास्ता मे से 1/4 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

शेष खाता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम यथावत रहेंगे।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

  
(रणजीत कुमार) कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिवासी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 248/2022

अनवान मुकदमा -

1. अजीत कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र जाति जाट निवासी मानकथेडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. संजय कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र जाति जाट निवासी मानकथेडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. प्रकाश पुत्र जुगराज जाति जाट निवासी मानकथेडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

..... वादीगण

बनाम

1. सुभाष चन्द्र पुत्र सुल्तान जाति जाट निवासी मानकथेडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. जुगराज पुत्र सुल्तान जाति जाट निवासी मानकथेडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. मुली देवी पत्नी जुगराज जाति जाट निवासी मानकथेडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. सुमन पत्नी प्रकाश पुत्र जुगराज जाति जाट निवासी मानकथेडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. कान्ता पत्नी लिछुराम पुत्री जुगराज जाति जाट निवासी भेरुसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. शकुन्तला पत्नी किशनलाल पुत्री जुगराज जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

..... प्रतिवादीगण

-:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा ::-

-:: निर्णय ::-

दिनांक -20/06/2022

वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2, राज पैरोकार प्रतिवादी सं. 3 इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाकर डिक्री जारी की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि में से :-

(क) वादीगण सं. 1 व 2 को तहसील पीलीबंगा के चक 4 बी.आर.पी.(भाखड़ा) के खाता संख्या 126/112 के प.नं. 14/362(48) की कुल 3.795 हैक्. नाली प्रथम मय गै.मु.खाला रास्ता मे से 1/8 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि व इसी चक के खाता स. 34/25 के प.न. 15/359(22) की कुल 1.834 हैक्. नाली प्रथम मे से 1/8 हिस्सा कृषि भूमि व चक मानकथेडी बरानी के

20.06.2022  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

खाता सं. 17/11 के खसरा नं. 87 की 0.506 हैक्. व खसरा नं. 91 की 1.012 हैक्. इस प्रकार कुल 1.518 हैक्. बारानी मे से 1/32 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


(ख) वादी सं. 3 को तहसील पीलीबंगा के चक 4 बी.आर.पी.(भाखड़ा) के खाता सख्या 126/112 के प.नं. 14/362(48) की कुल 3.795 हैक्. नाली प्रथम मय गै.मु.खाला रास्ता मे से 1/8 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि व इसी चक के खाता स. 34 के प.न. 15/359(22) की कुल 1.834 हैक्. नाली प्रथम मे से 1/8 हिस्सा कृषि भूमि व चक मानकथेडी बारानी के खाता सं. 14/9 के खसरा नं. 35 की कुल 0.658 हैक्. बारानी मे से 1/4 हिस्सा व इसी चक के खाता सं. 17/11 के खसरा नं. 87 की 0.506 हैक्. व खसरा नं. 91 की 1.012 हैक्. इसप्रकार कुल 1.518 हैक्. बारानी मे से 1/32 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ग) प्रतिवादी सं. 3, 4 को तहसील पीलीबंगा के चक 6 बी.आर.पी. के खाता सख्या 17/32 के प.नं. 24/365(51) की कुल 3.694 हैक्. नहरी मय गै.मु.खाला रास्ता मे से 1/2 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि व इसी चक के खाता सख्या 113/31 के प.नं. 20/365(55) की कुल 2.720 हैक्. नाली प्रथम मय गै.मु. रास्ता मे से 1/4 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

शेष खाता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम यथावत रहेंगे।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थंगन नही हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 20/06/2012 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(रणजीत कुमार) कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी एवं अधिकारी पीलीबंगा  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा